



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16
Visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No: 97 /SEIAA/2018

Date: 24.4.18

कार्यालय आदेश

एफको के कार्यालय आदेश क्रमांक 531/एफको/2010 दिनांक 24.02.2011 एवं आदेश क्रमांक 191/एफको-सिया/11 दिनांक 16.06.2011 को संशोधित करते हुए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु प्राप्त आवेदनों पर परियोजनावार निम्न प्रक्रिया शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

निर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं (Construction Project / Area Development Projects)

क्र.	निर्मित क्षेत्र अथवा विकास क्षेत्र	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1.	50,000 वर्गमीटर तक निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हैक्टेयर तक विकास क्षेत्र	50,000/-
2.	50,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 1,00,000 वर्ग मीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हैक्टेयर से ज्यादा और 100 हैक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र	1,00,000/-
3.	1,00,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 1,50,000 वर्ग मीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 100 हैक्टेयर से ज्यादा और 100 हैक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र	1,50,000/-
4.	1,50,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 300,000 वर्ग मीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 100 हैक्टेयर से ज्यादा और 150 हैक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र	2,00,000/-

औद्योगिक एवं अन्य गैर खनन परियोजनाएँ (Industrial and Other Non-Mining Projects)

क्र.	परियोजना में कुल पूंजी निवेश (रूपये में)	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1.	25 करोड़ तक	50,000/-
2.	25 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ के भीतर	75,000/-
3.	50 करोड़ से ज्यादा और 100 करोड़ के भीतर	1,00,000/-
4.	100 करोड़ व अधिक	1,25,000/-

प्रमुख खनिज उत्खनन (Major Mineral Mining)

क्र.	माईनिंग लीज क्षेत्र	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1.	05 हैक्टेयर तक	10,000/-
2.	05 हैक्टेयर से ज्यादा और 25 हैक्टेयर के भीतर	25,000/-
3.	25 हैक्टेयर से ज्यादा	50,000/-

गौण खनिज उत्खनन (Minor Mineral Mining)

क्र.	माईनिंग लीज क्षेत्र	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1	05 हैक्टेयर से ज्यादा और 25 हैक्टेयर के भीतर	20,000/-
2	25 हैक्टेयर से ज्यादा	50,000/-

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पर उक्त प्रक्रिया शुल्क की राशि कार्यपालन संचालक, एफको के नाम से डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के रूप में देय होगी।

मान. मंत्री, पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित।


सदस्य सचिव एवं
कार्यपालन संचालक, एफको

पृष्ठ क्रं १४ /सिया /2018

दिनांक २५.५.१४

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 2. निज सचिव, महानिदेशक एफको, भोपाल।
 3. नोडल आधिकारी, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल।
 4. लेखाधिकारी, एफको भोपाल।
 5. प्रशासनिक अधिकारी, एफको भोपाल।
 6. प्रशासनिक शाखा, सिया भोपाल।
 7. सर्व संबंधित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सदस्य सचिव एवं
कार्यपालन संचालक, एफको

o/c